:- प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती घोषणा बाबत :-

डिक्री

दिनांक :-________

वादी की ओर से श्री हीरालाल किरथलिया अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को तथा मिसल .... उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निस्तारण के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा किया जाता है:-

चक 11 पीबीएन के खाता सं. 48 के प.नं. 39/305, 40/305 की कुल 8.855 हैक्. के 1/7 हिस्सा मे कमला देवी पत्नी दलीप कुमार के स्थान पर कमला देवी पत्नी नरेश कुमार किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 07/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उषा मित्तल)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा